न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/59

1. मोहनलाल पुत्र अमरा जाति भॉमी
2. सुरेन्द्र पुत्र अमरा जाति भॉमी
3. लक्ष्मण पुत्र अमरा जाति भॉमी
4. कैला बाई पुत्री अमरा जाति भॉमी
5. प्रेम बाई पत्नी अमरा जाति भॉमी

निवासी गण गडवाडा मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

अमरा उर्फ अमरलाल पुत्र डूंगा जाति चारण मृतक जरिये कायममुकामान

1. धन्ना पुत्र अमरलाल उर्फ उमरा जाति चारण
2. कान्हा उर्फ कन्हैया लाल मृतक जरिये कायममुकामान
   2/1 सीता बाई पत्नी स्व0 कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति चारण
   2/2 प्रदीप पुत्र स्व0 कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति चारण
3. सुडी पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण
4. चम्पी बाई पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण
5. रूकमणी पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण

   निवासीगण ग्राम गडवाडा मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

1. श्री बनवारी लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दयाराम सेन अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 01 से 05 की ओर से ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2025/59

मोहनलाल वगै0 बनाम अमरा का0मु0 धन्ना वगै0, सरकार

निर्णय

दिनांकः 30.12.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा वाद संख्या 61/17(जीसीएमएस 2017/00132) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया कि वादी ग्राम मांदलिया प0म0 मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा का स्थायी निवासी हैं तथा काश्तकार व्यक्ति हैं तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आरहा है वादी को ग्राम हीरापुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी ख० न० 92 की 0.31 है, 86/468 की 0.30 है0 आवंटन अधिकारी उप–जिला कलेक्टर कोटा द्वारा 22.06.89 को समीपवर्ति भूमि होने के कारण आवंटन किया जाकर पटटा दिया जाकर भूमि पर कब्जा दिया गया हैं। उक्त आराजी का वादी के नाम गैर–खातेदारी का नामान्तकरण 65 दिनांक 24.05.90 को तस्दीक कर गैर खातेदारी अधिकार दिये जाकर उक्त आराजी को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज किया गया हैं। वादी उक्त आराजी पर वक्त आवन्टन से ही बहैसियत गैर खातेदार के रूपमें काबिज काश्त चला आरहा है। वादी की जाति चारण हैं तथा उसने अपना आवंटन का प्रार्थना पत्र दिया उसमें भी उसकी जाति चारण अंकित हैं तथा उसी आधार पर वादी की जाति आवंटन–पटटा भूमि जाति चारण दर्ज हैं। वादी के नाम नामान्तकरण स० 65 दिनांक 24–5–90 को तस्दीक किया गया है उसमें उसकी जाति भामी दर्ज करदी गई जब कि भामी कोई जाति ही नही होती हैं ना ही वादी भामी जाति का सदस्य है। वादी ग्रामीण व्यक्ति है तथा पढ़ा–लिखा नहीं होने के कारण वह उक्त त्रुटि को नही समझ पाया और उक्त त्रुटि लगातार राजस्व रिकार्ड में चली आर ही है। जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक होगया हैं। उक्त त्रुटि का ज्ञान प्रार्थी वादी को अभी कुछ समय पूर्व राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने तथा अपने वकील साहब को दिखाने पर उन्होने बताया कि वादी की जाति गलत रूप से चारण के स्थान पर भामी दर्ज की हुई हैं जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। वादी को उक्त त्रुटि दुरूस्त करवाने का ज्ञान दिनांक 25.07.2017 को वकील साहब द्वारा बताने तथा उक्त त्रुटि माननीय न्यायालय में दावा पेश करके दुरूस्त करवाने की बात कहने पर हुवा यही वाद कारण है जो लगातार करके दुरूस्त करवाने की बात कहने पर हुवा यही वाद कारण है जो लगातार है। वादी द्वारा राजस्थान सरकार लेन्ड होल्डर के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है किन्तु कानून की मन्शा पूर्ण करने के लिये तथा वादी का वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त वाद लेन्ड होल्डर राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिये बिना ही धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया जा रहा है। जिसको पेश करने की अनुमति प्रदान

जाकर वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद का निस्तारण मेरिटस पर किये जाने की कृपा करे।

वादी द्वारा उक्त सबंध में पूर्व में किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद पेश नहीं किया गया है यह प्रथम वाद है। विवादित आराजी ग्राम हीरापुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित हैं इस कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादी की गैर–खातेदारी की आराजी ग्राम हीरापुर तहसील लाडपुरा की आराजी ख० न० 92 रकबा 0.31 एवम ख० न० 86/468 रकबा 0.30 है० आराजी के संबंध मे राजस्व रिकार्ड मे वादी की जाति भामी के स्थान पर सही जाति चारण दर्ज करने का तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया कि ग्राम हीरापुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नंम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.6 हेक्टर के खातेदार (वादी) की जाति की इन्द्राज दुरूस्ती कर भांमी के स्थान पर चारण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ धारा 96 सी.पी. सी का प्रार्थना पत्र पेश किया । अपील मियाद बाहर पेश करते हुए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 05 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी.पर सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिवता अपीलांट द्वारा दिनांक 23.07.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता अमरा उर्फ अमरलाल की मृत्यु दिनांक 28.09.19 को होना स्वीकार किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का सम्बंधित आराजी में कोई विधिक अधिकार नहीं था, ना ही पक्षकार बनाया

जाना न्यायहित में था क्योंकि विवादित आराजी का वाद मात्र आवंटन के वक्त आवंटी की आराजी में जाति की संशोधित करने का अनुतोष चाहा गया था। अतः उक्त प्रार्थना पत्र जेर अपील से सम्बंधित नहीं होने कारण सव्यय खारिज होने योग्य है।

अपीलांट के विद्वान् अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के जवाब में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम हीरापुरा उपतहसील मण्डाना सम्वत 2044 से सम्वत 2047 खसरा नम्बर 86/468 एवं खसरा नम्बर 92 से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बंध नहीं है, जो रिकार्ड पर लेने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम हीरापुरा उपतहसील मंडाना सम्वत् 2044 से सम्वत् 2047 खसरा नम्बर 86/468 की आराजी पर रेस्पोडेन्ट का नायब तहसील मण्डाना द्वारा अतिक्रमी मानकर नोटिस दिया गया है उक्त नोटिस में रेस्पोडेन्ट की जाति चारण मानी गई है। तथा रेस्पोडेन्ट की जाति चारण मानकर ही उक्त आराजी को आवंटित की गई है । अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस का सम्बंध इस प्रकरण से नहीं बताते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 13.06.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी आदेशिका दिनांक 10.09.2025 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा "No Objection" करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया गया है। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्रों पर की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना–पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेखों व न्यायालय के दस्तावेजों की फोटोप्रतियां है। उक्त दस्तोवेजों का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। अतः हमारे मत में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

6. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलाण्ट के वर्तमान में खातेदारी की आराजी में अपीलाण्ट की जांति भांमी के स्थान पर चारण जाति करवाने का दावा अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक अमरा उर्फ अमरलाल जाति दुरूस्त करवाने का दावा बिना रेस्पोडेण्ट को उक्त वाद मे कायममुकाम बनाये बिना ही मृतक अमरा उर्फ अमरलाल के नाम से अधीनस्थ न्यायालय में दावा डिकी करवा लिया तथा अपीलाण्ट के खातेदारी की

उक्त आराजी मे जाति भांमी के स्थान पर चारण कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट की खातेदारी की जमीन पर रेस्पोडेण्ट अवैध तरीके से कब्जा कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा जानबूझकर अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया है इसलिये अपीलाण्ट एग्रीव्ड पर्सन होने से उक्त डिक्री की अपील माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है तथा उक्त अपील पेश करने की अनुमति देना न्यायाहित में आवश्यक है।

7. अपीलांट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2024 को हुई तब रेस्पो० द्वारा अपीलाण्ट के नाम नामान्तरण तस्दीक की अपील न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा मे की उसमें अपीलाण्ट की अपील का नकल मेमो में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 का हवाला देने पर जानकारी होने पर दिंनाक 03.01.2025 उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 17.01.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर वकील साहब से सलाह मशवरा करके उक्त अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है, जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2025 विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में मृतक वादी अमरलाल उर्फ अमरा उक्त दावा प्रस्तुत करने की तारीख पर जीवित नहीं था तथा उक्त वाद दावा प्रस्तुत करने की तारीख को मृतक अमरलाल उर्फ अमरा को जीवित बताते हुये उक्त वाद प्रस्तुत किया जाकर उक्त निर्णय व डिक्री फर्जी तरीके से करवाया है। इसलिये उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात अपीलाण्ट के पिता अमरा पुत्र डूंगा जाति भांमी निवासी मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा को आवंटित दिनांक 22.06.1989 को केम्प मांदलिया में की गई थी तथा अपीलाण्ट के पिता अमरा मृतक को उक्त विवादित आराजी पर दिनांक 24.05.1990 को गैरखातेदारी स्वीकार की गई थी उसके बाद अपीलाण्ट के पिता अमरा पुत्र डूंगा जाति भांमी निवासी मांदलिया को दिनांक 15.03.2005 एंव 17.05.2005 से खातेदारी हक प्रदान किया गया तब से ही अपीलाण्ट के पिता उक्त विवादित आराजी के खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एव डिक्री निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटन पत्र मे आवंटी का

नाम केवल अमरा है जबकि उक्त दावा अमरलाल उर्फ अमरा के नाम से अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिससे स्वतः स्पष्ट है कि यह अमरलाल उर्फ अमरा उक्त विवादित आराजी का आवंटी नहीं है। अपीलाण्ट के पिता अमरा पुत्र डूंगा जाति भांमी की मृत्यु उपरान्त उक्त विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के नाम नामान्तरण नम्बर 77 दिनांक 07.02.2022 को नियमानुसार नायब तहसीलदार साहब मण्डाना जिला कोटा द्वारा तस्दीक किया गया है जो कानूनन वैध है तथा अपीलाण्ट के पिता अमरा के स्थान पर सही जांच पडताल करके उक्त जाति भांमी आदि की जांच करके उक्त नामान्तरण सही तस्दीक किया गया था लेकिन रेस्पो० के पिता अमरलाल उर्फ अमरा के नाम से अपीलाण्ट के पिता की उक्त आवंटित आराजी पर गलत रूप से गलत तथ्य बताकर जाति भांमी के स्थान पर जाति चारण करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाण्ट के पिता अमरा जी को आवंटित आराजी पर जाति भांमी के स्थान पर जाति चारण करने का निर्णय व डिकी देने में भारी त्रुटि की है इसलिये भी उक्त निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार मांदलिया आई.एल.आर की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 व दिनांक 08.05.2024 की रिपोर्ट पर एक पक्षीय विश्वास करके भारी त्रुटि की है इसलिये भी उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में मृतक अमरलाल उर्फ अमरा के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.08.2024 तक भी कोई कायममुकामान नही बनाये गये तथा मृतक व्यक्ति के नाम निर्णय व डिक्री जारी की गई है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2024 को हुई तब रेस्पो० द्वारा अपीलाण्ट के नाम नामान्तरण तस्दीक की अपील न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा मे की उसमे अपीलाण्ट की अपील का नकल मेमो मे उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 का हवाला देने पर जानकारी होने पर दिनांक 03.01.2025 उक्त निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 17.01.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर वकील साहब से सलाह मशवरा करके उक्त अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित नकल फोटो कॉपी मोहन लाल पुत्र अमर लाल का जाति प्रमाण पत्र, नकल फोटो कॉपी नामान्तरण रजिस्टर हीरापुर एवं नकल फोटो कॉपी जमाबन्दीयां व मानचित्र पेश किये। अतः अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अपीलांट के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए रेस्पो0 क्रम 01 लगायत 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए विधि सम्मत प्रकिया की पालना करते हुए निर्णय व

डिक्री दिनांक 30.08.2024 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके बाद भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना न्यायालय का वक्त बर्बाद करने की मंशा को दर्शाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय तथा रेस्पो0 वादी का समय बर्बाद करने की नियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कहे गए कथन पूर्णतया मिथ्या तथा बेबुनियाद है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट धारा–5 मियाद अधिनियम का खण्डन किया तथा अपील मियाद के बिन्दु पर सव्यय खारिज करने का निवेदन किया ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचाराधीन न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पर निर्णय किया जाना उचित है। प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांट के वर्तमान में खातेदारी की आराजी में अपीलांट की जाति भांमी के स्थान पर चारण जाति करवाने का दावा अधीनस्थ न्यायालय में मृतक अमरा उर्फ अमरलाल जाति दुरूस्त करवाने का दावा बिना रेस्पोडेन्ट को उक्त वाद में कायममुकाम बनाये बिना ही मृतक अमरा उर्फ अमरलाल के नाम ही अधीनस्थ न्यायालय में दावा डिक्री करवा लिया। चूंकि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी के खातेदार काबिज काश्त होने से हक अधिकार निहित होने का कथन किया है अतः हमारे मत में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने अपीलांट की ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व रेस्पोडेन्ट की बहस पर अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया गया कि ग्राम हीरापुर, पटवार हल्का मान्दलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर का आवंटन जिला कलक्टर कोटा द्वारा 22.06.1989 को समीपवर्ती भूमि होने के कारण आवंटन किया जाकर तथा पट्टा दिया जाकर भूमि पर कब्जा दिया गया है। उक्त आराजी का वादी रेस्पोडेन्ट के नाम गैरखातेदारी का नामान्तरण 65 दिनांक 24.05.1990 का तस्दीक कर गैरखातेदारी अधिकार दिये जाकर उक्त आराजी को वादी रेस्पोडेन्ट की गैरखातेदारी में दर्ज किया गया है। वक्त आवंटन से ही बहैसियत गैरखातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी रेस्पोडेन्ट के नाम नामन्तरकरण को तस्दीक करने पर वादी की जाति चारण के स्थान पर भामी दर्ज कर दी । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वादी की गैर खातेदारी की उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति भांमी के स्थान पर चारण दर्ज करने का तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाने का निर्णय एवं डिक्री जारी करने का वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार मांदलिया व आईएलआर की रिपार्ट दिनांक 14.05.2028 व दिनांक 08.05.2024 के आधार पर ही एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना नहीं पाया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः हमारे मतानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवाई को समुचित अवसर दिये जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 30.01.2026 को स्वंय उपस्थित हों । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा